क्रम-संख्या–214(ग-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 1 जुलाई, 2026
आषाढ़ 10, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग–2

संख्या 400 / 23-2–2026-10(सा0)-26
लखनऊ, 1 जुलाई, 2026

अधिसूचना

प0आ0–435

चूँकि, राज्य सरकार की यह राय है, कि जिला गोण्डा में ढेमवाघाट में घाघरा नदी पर एक नया सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथादर्शित अपनी सीमाओं के भीतर जिला गोण्डा में ढेमवाघाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करते हैं।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं, कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला गोण्डा में ढेमवाघाट में पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर के परगना के नाम	नदी के दोनों ओर के ग्रामों के नाम	नदी जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम
1	2	3	4	5
गोण्डा	नवाबगंज, हवेली अवध	दत्तनगर, सोहावल	घाघरा नदी	ढेमवाघाट

नौघाट की श्रेणी	नौघाट की सीमा				
	किनारा	धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के नीचे की ओर	दूरी
6	7	8	9	10	11
''सी''	बांया दाया	कैथीघाट	10.00 किमी0	अयोध्या घाट	12.000 किमी0

आज्ञा से,
दिव्य प्रकाश गिरि,
सचिव।

———

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 400/XXIII-II–2026-10(Sa.)-26**,** dated July 1, 2026 for general information :

No. 400/XXIII-II–2026-10(Sa.)-26

Dated Lucknow, July 1, 2026

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the Ghaghara River at Dhemva Ghat in district Gonda;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of Section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no. 17 of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*, a new public ferry on the Dhemva Ghat in district Gonda within its limits as shown in the Schedule below.

Under section 6 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Dhemva Ghat in district Gonda shall vest in the Superintending Engineer, Gonda Circle, Lok Nirman Vibhag, Gonda.

SCHEDULE

Name of district	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of village on both banks of the river	Name of the River on which ferry is to be established	Name of the Ferry
1	2	3	4	5
Gonda	Nawabganj, Haveli Awadh	Dattanagar, Sohawal	Ghaghara River	Dhemva Ghat

Catefgory of Ferry	Ferry Limit				
	Edge	Upstream	Distance	Downstream	Distance
6	7	8	9	10	11
"C"	Left Right	Kaithi Ghat	10.00 Km.	Ayodhya Ghat	12.000 Km.

By order,
DIVYA PRAKASH GIRI,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 423 राजपत्र–2026–(906)–599+50+10=659 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।